चालीसवां पूर्ण राज्यत्व दिवस

विकास एवं समृद्धि के पथ पर अग्रसर हिमाचल

प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री का आलेख

पच्चीस जनवरी का दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ तथा यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेश के लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ।

वर्ष 1971 में अपनी विकास यात्रा शुरू कर हिमाचल प्रदेश न केवल देश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का आदर्श बनकर उभरा है, अपितु अनेक क्षेत्रों में अग्रणी रहकर इसने देश के बड़े राज्यों को भी दिशा दी है। आज यह देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर ऊभरा है, जिसकी विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों से पुष्टि हुई है।

यदि हम आज के हिमाचल प्रदेश की तुलना 1971 के हिमाचल प्रदेश के साथ करें तो हमें पता चलता है कि हमने कहां से अपना सफर आरम्भ किया था और आज हम कहां पहुंचे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो 1971 में 651 रुपये थी, वर्ष 2008 में बढ़कर 44803 रुपये हो गई है तथा वर्ष 2009 में इसके 46 हजार रुपये से अधिक होने की सम्भावना है। वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद भी 223 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,940 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वर्ष 1971 की वार्षिक योजना का आकार 2.11 करोड़ रुपये था जबकि 2009-10 में वार्षिक योजना का आकार 2700 करोड़ रुपये का है तथा वर्ष 2010-11 में इसे तीन हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन भी 9.36 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, फल उत्पादन 1.49 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 6.28 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

हिमाचल प्रदेश में आज 31 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध है, जबकि 1971 में प्रदेश में केवल 7740 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं। प्रदेश के सभी जनगणना गांवों को विद्युत तथा पेयजल सुविधा प्राप्त हैं। देश के सेब राज्य की ख्याति अर्जित करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश देशभर में फल राज्य के रूप जाना जाने लगा है तथा देश का ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

प्रदेश में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय राज्य के मेहनतकश, ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों को जाता है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस मिथक को गलत साबित किया है कि गरीबी पहाड़ों की नियति है। इसका श्रेय प्रदेश को समय-समय पर मिले नेतृत्व को भी जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री डा. वाई.एस.परमार को याद किए बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने शैशव अवस्था में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक ठोस आधार दिया।

प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में दो बार सेवा करने का मौका मिला है। पहली बार 1998 से 2003 तक तथा अब दूसरी बार 2007 से। इन वर्षों में सरकार का प्रयास रहा है कि प्रदेश का तीव्र विकास हो, जन कल्याण, विशेषकर समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो तथा विकास के लाभ आम आदमी को मिले। हमने अपनी विकास प्राथमिकताएं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की हैं। सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य हमारी तीन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और इन तीनों का सम्बन्ध आम आदमी से है।

हम वर्ष 2012 तक 250 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एक योजना पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान 1715 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है तथा 1600 कि.मी. सड़कों को पक्का किया गया है। इस दौरान 98 पुलों का निर्माण कर, सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। राज्य के लिए दो नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत करवाए गए हैं, ये हैं-नगरोटा बगवां-रानीताल-मुबारकपुर तथा पांवटा साहिब-शिलाई-हाटकोटी।

प्रदेश सरकार ने कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के परवाणु-सोलन भाग को फोर लेन के रूप में विकसित करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है, हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने इसके लिए 549 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। प्रदेश सरकार राज्य के कुछ राष्ट्रीय उच्च मार्गों तथा राज्य उच्च मार्गों को एक्सप्रेस हाईवे में स्तरोन्नत करने पर भी कार्य कर रही है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।

हिमाचल प्रदेश देश का 'शिक्षा हब' बने, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए राज्य में स्तरीय एवं नामी शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने तथा उनकी दक्षता उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। निजी क्षेत्र में 16 अन्य विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। सोलन जिला में बद्दी के समीप कालूझंडा में स्थापित 'अटल शिक्षा कुंज' को विश्व स्तरीय 'शिक्षा हब' के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर नामी शिक्षण संस्थान प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। प्रदेश के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत करवाया गया है। मण्डी जिला के कमांद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) खोला गया है। कांगड़ा जिले के छेब में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित बनाई जा रही हैं। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'महिला ग्राम पंचायत स्वास्थ्य सहायिका योजना' आरंभ की गई है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों को आधुनिकतम एवं विशेषज्ञ सेवाओं से लैस कर, सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार मण्डी, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान 449 ऐलोपैथिक डॉक्टर, 182 आयुर्वेदिक डाक्टर, सैंकड़ों नर्सों तथा पैरा मैडिकल स्टॉफ की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को पहले चरण में प्रदेश के दो जिलों में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद प्रदेश भर में आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत ग़रीबी रेखा के नीचे रह रहे 2,98,000 परिवारों को 30 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा छत्र प्रदान किया गया। इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इसका खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत से भी अधिक आबादी गांवों में रहती है इनमें लगभग 70 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में, गत वर्ष, दो महत्त्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की गई है। इनमें एक है 353 करोड़ रुपये की पंडित दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना तथा दूसरी है 300 करोड़ रुपये की 'दूध गंगा योजना'। पंडित दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना के अन्तर्गत किसानों को पॉलीहाउस बनाने तथा लघु सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। दिसम्बर, 2009 तक किसानों को 4000 से भी अधिक पॉलीहाउस स्थापित करने को स्वीकृत प्रदान की गई है, इनमें से 1223 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 1100 पॉलीहाउस निर्माणाधीन हैं।

विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में गत दो वर्षों में आरम्भ की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इसके लिए इनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश की वर्ष 2009-10 के लिए 2700 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के मुकाबले वर्ष 2010-11 के लिए 3000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गई है। 300 करोड़ रुपये की वृद्धि से निश्चित ही विकास को तेज करने में बल मिलेगा।

विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में गत दो वर्षों में आरम्भ की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इसके लिए इनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश की वर्ष 2009-10 के लिए 2700 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के मुकाबले वर्ष 2010-11 के लिए 3000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गई है। 300 करोड़ रुपये की वृद्धि से निश्चित ही विकास को तेज करने में बल मिलेगा।

प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। 'मातृशक्ति बीमा योजना' के तहत बीमा लाभ में चार गुणा वृद्धि की गई है। अब इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को उनके पति की मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये तथा अपंगता की स्थिति में 50 हजार रुपये की बीमा राशि प्रदान की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के लिए 'जीवन श्री बीमा योजना' कार्यान्वित की गई है। 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना' के तहत पात्र लड़कियों को 11001 रुपये विवाह अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। योजना की पात्रता के लिए आय सीमा को 7500 से बढ़ाकर 15000 वार्षिक किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षों के दौरान 646.28 करोड़ रुपये व्यय कर 379.26 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए तथा 8,56,520 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। प्रदेश के आवासहीन ग्रामीण परिवारों की आवास की समस्या को हल करने के लिए 'इंदिरा आवास योजना' तथा 'अटल आवास योजना' को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत गत दो वर्षों में 10 हजार घरों का निर्माण किया गया है।

लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयों 'पंचायती राज संस्थाओं' को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य की प्रत्येक पंचायत में पंचायत सचिव तथा पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि पंचायत कार्यालय लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए पंचायतों को वित्तीय तथा अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गयी है।

जलविद्युत, उद्योग तथा पर्यटन क्षमताओं के समुचित दोहन के माध्यम से प्रदेश के लिए आय के अतिरिक्त साधन सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

जलविद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2012 तक 12 हजार मैगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जलविद्युत दोहन में निजी, संयुक्त तथा राज्य क्षेत्र को सम्बद्ध किया गया है। राज्य में निजी तथा संयुक्त क्षेत्र द्वारा निष्पादित की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित बनाया जा रहा है। जलविद्युत परियोजनाओं के आबंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पांच मेगावॉट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं के आबंटन के लिए खुली निविदा प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उद्यमियों के लिए शांतिप्रिय माहौल, प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, जवाबदेह प्रशासन तथा प्रोत्साहन पैकेज कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो उद्यमियों को यहां निवेश के लिए प्रेरित करते हैं। प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान 10,640 करोड़ रुपये निवेश की 2051 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 90 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इनमें से 2547 करोड़ रुपये निवेश की 1616 नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। उद्यमियों को सुगमता से भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 8000 बीघा भूमि का 'लैंड बैंक' स्थापित किया गया है।

प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सौंदर्य तथा अन्य संसाधनों से नवाज़ा है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार सुनिश्चित बनाने के लिए 'होम स्टे योजना' आरंभ की गई है, जिसके तहत अब तक 152 होम स्टे इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। शिमला नगर के पुराने वैभव के संरक्षण के लिए 'शिमला हैरिटेज टूरिज़्म स्कीम' आरंभ की गई है। प्रदेश में पर्यटन विकास की दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों के परिणामस्वरूप सी.एन.बी.सी. आवाज़ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को 'बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन' तथा शिमला नगर को 'बेस्ट माउंटेन टाउन' पाया गया है। प्रदेश में समन्वित पर्यटन विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 वर्षीय मास्टर प्लॉन तैयार की जा रही है। स्वरोजगार, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान इन तीन क्षेत्रों पर सरकार ने अपना ध्यान एवं विकास प्राथमिकताएं केन्द्रित की हैं, इसके लिए संसाधन सृजन पर विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार लोगों को स्वच्छ पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम पुनः आरम्भ किया गया है तथा जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों में जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। जन शिकायतों के 'ई-समाधान' के तहत ऑन-लाइन समाधान किया जा रहा है। लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी की बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर 3366 लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। लोगों को राजस्व तथा जन कल्याण संबंधी सूचनाएं 'ई-गवर्नेंस' के माध्यम से बटन दबाते ही उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

सरकार लोगों को स्वच्छ पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम पुनः आरम्भ किया गया है तथा जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों में जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। जन शिकायतों का 'ई-समाधान' के तहत ऑन-लाइन समाधान किया जा रहा है। लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी की बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर 3366 लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। लोगों को राजस्व तथा जन कल्याण संबंधी सूचनाएं 'ई-गवर्नेंस' के माध्यम से बटन दबाते ही उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

प्रदेशवासियो! हम अब तक जो कुछ भी कर पाए है, वह आपके सहयोग एवं समर्थन से ही संभव हो पाया है। मैं भविष्य में भी आपसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के तीव्र एवं समग्र विकास तथा जन कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। आइए! इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को एक स्वावलम्बी एवं आदर्श राज्य बनाने में मिलकर प्रयास करें।

जय हिन्द! जय हिमाचल!

विकास के मील पत्थर

सड़क सुविधा से जुड़ते गांव

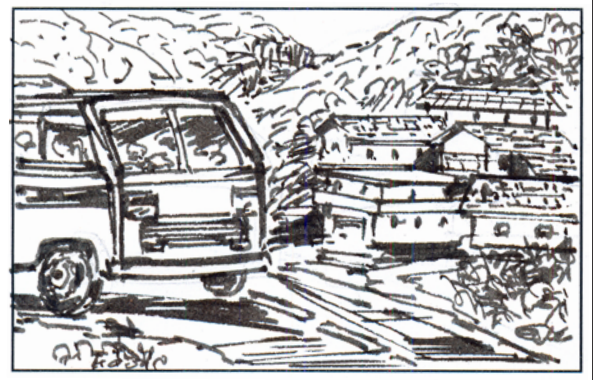

राज्य में सड़कें, आवागमन का प्रमुख साधन हैं तथा ये आर्थिकी को सुदृढ़ करने में विशेष योगदान दे रही हैं। वर्ष 1971 में 740 किलोमीटर सड़क मार्ग था जो वर्ष 2009 में बढ़कर 31 हजार किलोमीटर हो गई है। वर्तमान सरकार ने 250 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को वर्ष 2012 तक सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है।

शिक्षा के हब के रूप में उभरता हिमाचल

राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश का श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है तथा इस क्षेत्र को वर्तमान सरकार ने विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। सरकार ने तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 16 अन्य विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र में स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 1971 में 4963 शिक्षण संस्थानों के मुकाबले आज इनकी संख्या बढ़कर 17001 हो गई है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में साक्षरता क्रांति का सूत्रपात हुआ है। सोलन जिले के कालू झंडा, बद्दी में 'अटल शिक्षा कुंज' की स्थापना की जा रही है जहां प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित कर इसे विश्व स्तरीय शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

सरकार के प्रयासों से घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिला ग्राम पंचायत स्वास्थ्य सहायिका योजना आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त गांव वासियों को आपातकाल में एंबूलैंस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 298291 परिवारों को 30 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। योजना के तहत 80 242 परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए गए हैं। ये प्रदेश सरकार की प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को दर्शाता है।

ऊर्जा, औद्योगिक, पर्यटन विकास से आत्मनिर्भरता

प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आगामी दो वर्षों के दौरान 12 हजार मेगावाट क्षमता के दोहन का लक्ष्य रखा है। राज्य में स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत रोजगार के अवसर स्थानीय युवाओं को सुनिश्चित बनाए गए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत अटल बिजली बचत योजना के तहत 16 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता चार सीएफएल निःशुल्क वितरित करने पर 80 करोड़ रुपये व्यय किए गए। औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्र के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए गए हैं। तथा दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की निवेश वाली 2051 नए औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें 88777 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सुदृढ़ होती कृषि-बागबानी

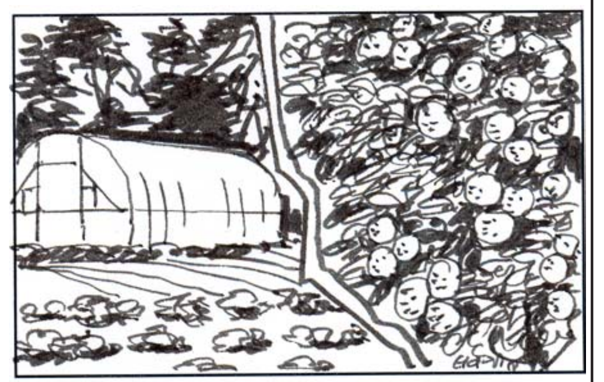

किसानों एव बागबानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए 353 करोड़ रुपये की पं. दीनदयाल किसान-बागबानी समृद्धि योजना व 300 करोड़ रुपये की दूध गंगा योजना आरंभ की गई। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान के नए द्वार खोले हैं, जहां पॉलीहाउस में उत्पादन से किसान व बागबान की आमदनी में इजाफा हुआ है, वहीं दूध गंगा योजना के अंतर्गत डेयरी विकास, संसाधन सृजन, दुधारू पशुओं की खरीद एवं दूध व दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से देय प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा करने से किसानों को राहत मिली है। आज खाद्यान्न उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन तथा फल उत्पादन 6.28 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।